# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
# उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 95/2023
दायरा दिनांकः–20.10.2023
निर्णय दिनांकः– 24.12.24

## उनवान

1. सत्यनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मदनलाल आयु 75 वर्ष पुत्र दोला जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां
2. रामलखन आयु 40 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां
3. तेजराज आयु 32 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. पूजाबाई 30 वर्ष पत्नि तेजराज मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा,88,89,90,91,188,53 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,188,53 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी कम 1 के खातेदारी की भूमि ग्राम ककरवां में भूमि खाता संख्या 43/43 की खसरा नंबर 105/1 रकबा 1.7073 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रतिवादी कम 1 वादी व प्रतिवादी कम 2 व 3 का पिता है। प्रतिवादी कम 1 अतिवृद्ध होने के कारण प्रतिवादी कम 1 ने अपने जीवनकाल में आज से 15 वर्ष पूर्व उक्त विवादग्रस्त भूमि का बराबर–बराबर बंटवारा 1/3 में कर दिया था, तब से वादी निरंतर निर्बाध रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त करता आ रहा है। उक्त विवादग्रस्त भूमि पैत्रक सम्पत्ति है। जो प्रतिवादी कम 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। वादी ने इस वर्ष अपने हिस्से 1/3 में मक्का की फसल बोई थी, किंतु प्रतिवादी कम 2 व 3, की नियत में बेईमानी होने से प्रतिवादी कम 2 व 3 ने वादी के हिस्से की मक्का की फसल को काट लिया। जब वादी मजदूरी करके वापिस अपने गांव गया, खेत पर गया तो पता चला कि वादी के हिस्से की भूमि में से प्रतिवादी कम 2 व 13 ने फसल को कोट लिया। जब वादी ने प्रतिवादी कम 2 व 3 से कहा तो प्रतिवादीगण 74 लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गया। जिसकी थाने में रिपोर्ट भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिवादी कम 1 ने वादी के पिता मदनलाल ने भी हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

फसल देने के लिए कहा तो मना कर दिया और मारने पीटने व लड़ाई–झगड़ा किया तथा प्रतिवादी कम 2 व ने धमकी दी कि यदि दोबारा इस जमीन पर आया तो हाथ–पैर तोड़ देंगे व अंतिम बार वाद कारण दिनांक उत्पन्न हुआ। जब प्रतिवादीगण ने एक इंच जमीन भी नहीं देने, की कहने पर वाद कारण उक्त दिनांक को उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 18.06.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवां सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 43 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम ककरवां तहसील छबडा में स्थित है। प्रतिवादी क्रम 1 वादी व प्रतिवादी क्रम 2,3 के पिता है। प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने जीवनकाल में ही लगभग 15 वर्ष पूर्व भूमि का बटवारा 1/3 – 1/3 हिस्से आनुसार कर दिया तब से ही वादी व प्रतिवादी क्रम 2,3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पिता से प्राप्त हुई वादी ने अपनें हिस्से की भूमि में मक्का की फसल बाई थी परन्तु प्रतिवादी वादी क्रम 2,3 के मन में बेईमानी आ जाने से वादी की मक्का की फसल काट ली प्रतिवादीगण ने मक्का की फसल देने व भूमि देने से मना कर दिया पैत्रक आराजी होने से वादी 1/2 हिस्सा खाते दर्ज कराने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम ककरवां सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 43 में प्रतिवादी क्रम 1 मदनलाल पुत्र दोला का नाम दर्ज है वादी द्वारा विवादित आराजी पैत्रक होना बताया है परन्तु वादी द्वारा पैत्रक आराजी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिसे विवादित आराजी पैत्रक साबित हो सकें। वादी विवादित आराजी को पैत्रक साबित करने में विफल रहें है। वादी द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषण के दावों में साक्ष्य पेश कर अधिकार साबित नही किये है। वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

**:: क्रियात्मक आदेश ::**

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (सा.), छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

## प्राथमिक डिक्री

| वाद संख्या 95/2023 | धारा 88,89,90,91,188,53 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांकः– 24.12.2024 |
|---|---|---|
| समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां** | | |
| उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री नारायणलाल चौरसिया–वादी | | अभिभाषक प्रतिवादीः– |

वाद शीर्षक

उनवान

1. सत्यनारायण आयु 60 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मदनलाल आयु 75 वर्ष पुत्र दोला जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां
2. रामलखन आयु 40 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां
3. तेजराज आयु 32 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. पूजाबाई 30 वर्ष पत्नि तेजराज मीणा निवासी ग्राम ककरवां तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ........................................ रू0 का व्ययानुतोष ...................... द्वारा ............. को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **24.12.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडां जिला–बारां

| व्ययानुतोष | | | |
|---|---|---|---|
| | | वादी | प्रतिवादी |
| क्र.सं. | व्यय मद | | |
| 1. | वदपत्र/लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिकअभिभाषक | | |
| 6. | व्यय साक्षी | | |
| 7. | फीसकमिश्नर | | |
| 8. | अन्य/क्षतिपूर्ति | | |
| 9. | ब्याज ( :) | | |
| 10. | योग | | |